

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103003232011**

**दांडिक प्रकरण क.-316/11**

**संस्थापित दिनांक-02.08.11**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>	
<b>विरुद्ध</b>	
01-अशोक पुत्र अमर सिंह हरिजन उम्र 33 वर्ष निवासी फतेहाबाद 02-किरणबाई पत्नी अशोक हरिजन उम्र 30 वर्ष निवासी फतेहाबाद <span style="float: right;">.....आरोपीगण</span>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 09.03.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341, 294, 323, 324, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहतगण से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323, 341, 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी मुन्नीबाई ने दिनांक 07.03.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसका छोटा बच्चा तिलक, किरन बाई का छोटा बच्चा सतीश तथा और मोहल्ले के बच्चे लोग पहाड सिंह की छत पर सीमेंट खोदक गडडा कर गच्चा खेल रहे थे तभी इसी गडडे करने की बात को लेकर उसके मकान के सामने अशोक लठ लेकर तथा किरनबाई कुल्हाड़ी लेकर झगडा करने आए। अशोक ने उसे मादरचोद, बहनचोद की बुरी-बुरी गालियां दीं तथा उसकी लठ से मारपीट की जिससे उसे चोटें आईं। उसके लडके रामकिशन तथा आदमी तोफान सिंह ने आकर उसे बचाया। तब रामकिशन के दांहिने कान के पीछे कुल्हाड़ी

किरनबाई ने मारी जिससे चोट लगकर खून निकला तथा अशोक ने लठ रामकिशन के मारा जिससे चोट आई। जब रिपोर्ट करने आने लगे तो आरोपीगण ने उसका रास्ता रोक लिया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 123/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 324, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324/34, 341 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.03.11 को समय सुबह 10 बजे फरियादी मुन्नीबाई के घर के सामने ग्राम फतेहाबाद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी रामकिशन के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मुन्नीबाई, अ.सा. 02 तोफान, अ.सा. 03 रामकिशन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी आरोपीगण से कहासुनी एवं धक्कामुक्की हो गई थी जिससे गिरने से उसे तथा उसके पति व लड़के को चोट आ गई थी। उक्त साक्षी ने रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराना व्यक्त किया है, किंतु कहा है कि उसके द्वारा प्रपी 01 का ए से ए भाग नहीं लिखाया गया। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट की गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 भी देने से इंकार किया है। अ.सा. 02 तोफान एवं अ.सा. 03 रामकिशन ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था तथा धक्का मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि धक्का मुक्की में उन्हें चोट आ गई थी। उक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी जैसे हथियार से मारपीट की गई थी। उक्त साक्षीगण ने पुलिस कथन भी देने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से ऐसा प्रकट होता है कि घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य वाद विवाद हुआ था जिससे फरियादी पक्ष को चोटें आई थीं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं आहतगण के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट कर उपहति कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)